

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-1933
दिनांक 11 दिसंबर, 2025 को उत्तरार्थ

विद्युत वितरण का आधुनिकीकरण

+1933. श्री शशांक मणि:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने विद्युत वितरण को आधुनिक बनाने, बिलिंग दक्षता में सुधार लाने और समग्र तकनीकी एवं वाणिज्यिक (एटीएंडसी) घाटे को कम करने के लिए 2025-26 तक देश भर में 250 मिलियन स्मार्ट मीटर लगाने का लक्ष्य रखा है;

(ख) यदि हां, तो इस पहल के अंतर्गत स्वीकृत, स्थापित और चालू किए गए स्मार्ट मीटरों की संख्या सहित अब तक हुई प्रगति का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या अब तक लगभग 222 मिलियन स्मार्ट मीटर स्वीकृत किए जा चुके हैं और लगभग 22 मिलियन मीटर स्थापित किए जा चुके हैं और यदि हां, तो स्मार्ट मीटरों की स्वीकृति और संस्थापना के बीच अंतराल के क्या कारण हैं; और

(घ) कार्यान्वयन की गति को प्रभावित करने वाले वित्तीय, तकनीकी, संभार-तंत्रीय या प्रशासनिक चुनौतियां जैसे प्रमुख कारक क्या हैं?

उत्तर

विद्युत राज्य मंत्री
(श्री श्रीपाद नाईक)

(क) से (घ) : भारत सरकार ने विद्युत की गुणवत्ता और विश्वसनीय आपूर्ति प्रदान करने के लिए वितरण यूटिलिटी की प्रचालनात्मक दक्षता और वित्तीय स्थिरता में सुधार के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की सहायता करने के लिए जुलाई 2021 में संशोधित वितरण क्षेत्र स्कीम (आरडीएसएस) की योजना शुरू की। योजना के तहत प्रमुख पहलों में से एक उपभोक्ताओं की स्मार्ट मीटरिंग, वितरण ट्रांसफार्मर और फीडर हैं। इस योजना के तहत, राज्यों द्वारा प्रस्तुत परियोजना प्रस्तावों के आधार पर 20.33 करोड़ स्मार्ट मीटर संस्वीकृत किए जा चुके हैं। इसके अलावा, कई राज्यों ने अपनी राज्य योजना के तहत स्मार्ट

मीटर स्थापित किए हैं। अब तक विभिन्न योजनाओं के तहत देश में 4.93 करोड़ स्मार्ट मीटर लगाए जा चुके हैं। स्वीकृत कार्य योजना की समापन तिथि अर्थात 31.03.2028 तक पूरा होने की उम्मीद है।

स्मार्ट मीटरिंग डिस्कॉम की बिलिंग और संग्रह दक्षता में सुधार करने में मदद करती है और इस प्रकार हानि को कम करने में मदद करेगी।

प्रारंभ में, निम्नलिखित कारणों से स्मार्ट मीटरिंग कार्यों के कार्यान्वयन में कुछ चुनौतियां थीं:

- 1) स्मार्ट मीटर के लाभों के बारे में अपर्याप्त उपभोक्ता जागरूकता।
- 2) निविदा करने और कार्य अवाइड करने में विलंब। कुछ यूटिलिटी को निविदा दस्तावेज आदि जारी करने के लिए बोर्ड से अनुमोदन लेने में लंबी अवधि की आवश्यकता होती है।
- 3) यूटिलिटी द्वारा अनुबंध समझौते और प्रत्यक्ष डेबिट सुविधा (डीडीएफ) समझौते पर हस्ताक्षर करने में विलंब।
- 4) स्मार्ट मीटरिंग नई तकनीकी पहल होने के कारण प्रस्ताव के लिए अनुरोध (आरएफपी) जारी करने में प्रारंभिक विलंब।
- 5) कुछ यूटिलिटी में स्कीम दिशानिर्देशों के अनुसार कुल व्यय (टोटेक्स) मोड कार्यान्वयन में चुनौतियां।

संस्थापना की गति में सुधार के लिए, मंत्रालय ने उपभोक्ता विश्वास और जागरूकता बढ़ाने के लिए राज्यों के साथ नियमित अनुवर्ती कार्रवाई सहित विभिन्न कदम उठाए हैं। विभिन्न परामर्शिकाएं और मानक संचालन प्रक्रियाएं (एसओपी) जारी की गई हैं जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं:

- सरकारी प्रतिष्ठानों, वाणिज्यिक, औद्योगिक और उच्च भार वाले उपभोक्ताओं के लिए प्रीपेड स्मार्ट मीटर की संस्थापना की प्राथमिकता;
- बिल में छूट के माध्यम से प्रीपेड मीटर स्थापना के लिए उपभोक्ताओं को प्रोत्साहित करना;
- स्मार्ट मीटर द्वारा दर्ज की गई अधिकतम मांग के आधार पर उपभोक्ता पर कोई शास्ति नहीं;
- आसान किशतों में पिछले बकाया की वसूली के लिए तंत्र;
- स्मार्ट मीटर की सटीकता में विश्वास बढ़ाने के लिए चेक मीटर की संस्थापना;
- विद्युत की खपत की नियमित ट्रैकिंग और आसान रिचार्ज के लिए स्मार्ट मीटर मोबाइल ऐप उपलब्ध कराए जा रहे हैं;
- कनेक्शन कटने से पहले उपभोक्ताओं को बैलेंस और इमरजेंसी क्रेडिट के लिए अग्रिम अलर्ट।

परिणामस्वरूप, कार्यों में तेजी आई है।
